तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/6922/2002/बीकानेर हेतराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः–

श्री धीरेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

श्री रामसुख चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 19–1–2023

1– यह निगरानी अन्तर्गत नियम 23(2) राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय कृषि भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के तहत विरूद्व अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 19–9–2002 के प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा सहायक उपनिवेशन आयुक्त, कोलायत के समक्ष भूमिहीन के तौर पर भूमि आवंटन हेतु एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 8–4–1993 से खारिज कर दिया । प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश की अपील अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 10–7–97 से स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया । इस आदेश की पालना में सहायक आयुक्त द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29–7–98 को प्रार्थना–पत्र पुनः खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अपील अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 19–9–2002 द्वारा खारिज कर विचारण न्यायालय का आदेश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/6922/2002/बीकानेर हेतराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यथावत रखा। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3— उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । 4— विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रिमाण्ड आदेश की पालना में प्रार्थी को सुनवाई का मौका नहीं दिया न ही नोटिस दिया । रिमाण्ड आदेश दिनांक 10—7—97 के बाद विचारण न्यायालय ने अचानक एक वर्ष बाद नोटिस जारी करना लिखा जबकि प्रार्थी पर कोई नोटिस तामील नहीं हुआ। प्रार्थी के पास सबूत उपलब्ध थे किन्तु प्रार्थी को को सूचना नहीं दी और दिनांक 29—7—98 को प्रार्थना—पत्र खारिज कर दिया । प्रार्थी ने उसी दिन नकल लेकर अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की लेकिन अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील को गुणावगुण एवं मियाद के बिन्दु पर खारिज कर दिया । प्रार्थी एक गरीब भूमिहीन काश्तकार है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किए जावें। 5— विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए थे लेकिन उसके उपस्थित नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक रूप से प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र खारिज किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष भी मियाद बाहर अपील पेश की थी जिसे उन्होंने विधिसम्मत तरीके से खारिज किया है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निष्कर्ष पर आधारित हैं जिनमें निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है । अतः निगरानी खारिज की जावे । ।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/6922/2002/बीकानेर हेतराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	6— हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया । 7— हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना—पत्र सहायक आयुक्त उपनिवेशन,कोलायत द्वारा दिनांक 8—4—1993 को निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर उन्होंने निर्णय दिनांक 10—7—1997 द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड किया गया । उक्त रिमाण्ड आदेश की पालना में विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी को तलब किया एवं दिनांक 26—6—98 को नोटिस जारी किया गया एवं अगली पेशी दिनांक 29—7—98 को मय सबूतों के उपस्थित नहीं होने से उन्होंने पत्रावली खारिज कर फैसलशुमार की गई । विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 29—7—1998 के 4 वर्ष बाद दिनांक 18—4—2002 को अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसका कोई संतोषजनक कारण मियाद प्रार्थना—पत्र में प्रस्तुत नहीं किया गया । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इसके उपरान्त भी अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि प्रार्थी को समुचित नोटिस दिए जाने के बाद भी प्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ। इससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट बाबजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने पर उसका प्रार्थना—पत्र खारिज किया था । इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं था । विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 29—7—98 के 4 वर्ष बाद की देरी से प्रस्तुत अपील में भी विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं किया है । इस प्रकार सर्वप्रथम तो अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील मियाद बाहर थी ।द्वितीय प्रार्थी को विचारण न्यायालय ने समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना पत्रावली की आदेशिकाओं से प्रकट होता है । प्रार्थी द्वारा मियाद बाहर प्रस्तुत अपील को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/6922/2002/बीकानेर हेतराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिसम्मत तरीके से खारिज किया है जिसमें निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता हे । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित हैं एवं इन निर्णय में ऐसी कोई तात्विक त्रुटि या अनियमितता नहीं पाई जाती है न ही विधि का कोई प्रश्न ही अन्तर्वलित है, जिससे कि निगरानी के माध्यम से ऐसे विधिसम्मत आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके । **जैसा कि आर.बी.जे. 2018 पृष्ठ 215 उनवानी श्री चारभुजा जी बनाम हीरादास पर यह अभिमत निर्धारित किया है कि** ''जब अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में किसी प्रकार की कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं है, तब द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं है। जो अभिवाक् प्रारंभिक स्तर पर नहीं उठाया उसे द्वितीय अपील के स्तर पर नहीं उठाया जा सकता''। **इसी प्रकार आर.आर.डी. 2007 पृष्ठ 587 पर माननीय उच्च न्यायालय की रिट पीटीशन सं0 1231/1998** उनवानी **गणेश बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में भी यही मत अभिनिर्धारित किया है कि –** Held, the concurrent findings of fact arrived at by the two courts below could not have been interfered with in second appeal by Board of Revenue. **ए.आई.आर. 2022 पृष्ठ 24 पर यह अभिमत निर्धारित किया है कि–** Second appeal -Concurrent findings of law and facts- In normal circumstances High Court, while exercising powers is restrained from re-appreciating evidence available on record- concurrent findings of fact and law recorded by subordinate Courts cannot be interfered with unless same are found to be perverse to	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/6922/2002/बीकानेर हेतराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	extent that no judicial person could ever record such findings. उक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक या क्षेत्राधिकार संबंधी कोई त्रुटि नहीं होने से निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । 7— उक्त विवेचन के आधार पर यह निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया । **(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)** **सदस्य**	